न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हँसमख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं.31 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जुहारमल पुत्र सांकलाजी जाति पुरोहित निवासी फुंगणी तहसील व जिला सिरोही राज.		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही राज.

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार सुराणा
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत् ।

निर्णय   दिनांक30–12–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत दिनांक 14–6–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि गांव तंवरी पटवार क्षैत्र तंवरी तहसील सिरोही मे आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के वर्तमान सेटलमेण्ट अनुसार खसरा नंबर एवं रकबो की विगत निम्न अनुसार है :–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा
1–	1	0.01 हेक्टेयर
2–	2	3.10 हेक्टेयर
कुल	किता 2	कुल रकबा 3.11 हेक्टेयर

उक्त कृषि भूमि के पुराने सेटलमेण्ट अनुसार खसरा नंबर एवं रकबो की विगत निम्न अनुसार है:–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा
1–	1	4 बीघा 00 विस्वा
2–	2	5 बीघा 16 विस्वा
3–	3	9 बीघा 8 विस्वा
कुल	किता 3	कुल रकबा 19 बीघा 4 विस्वा

उक्त कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 1,2, व 3 के पूर्वी दिशा मे सीधी लाईन होना नक्शे मे दर्शाई है। उक्त खसरा नंबर 1,2 व 3 की कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि है। वर्तमान भुप्रबन्ध के समय भू प्रबन्ध अधिकारियों ने प्रार्थी के खसरा संख्या मे परिवर्तित करते हुये प्रार्थी के कृषि भूमि के खसरा नंबर 1 व 2 होना दर्शाया है एवं रकबा 3.1100 हेक्टेयर होना दर्शाया है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व नक्शे मे भू प्रबन्ध अधिकारियों ने प्रार्थी की कृषि भूमि को सही रूप से नही दर्शाई है तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 1 व 2 के पूर्वी दिशा की नक्शे की लाईन मे एक जगह खाचा कर लाईन को टेढा किया है। जिससे वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार उक्त भूमि का नाप करने पर प्रार्थी की कृषि भूमि का नाप कम हो जाता है। जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि के सम्बन्ध मे भविष्य मे विवाद होने की संभावना हो सकती है। वर्तमान भू राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गलती से प्रार्थी की कृषि भूमि के राजस्व नक्शा बनाने मे त्रुटि की है जिसे प्रार्थी इस आवेदन के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। तत्कालीन भू राजस्व अधिकारियों को प्रार्थी की कृषि भूमि के राजस्व नक्शे मे परिवर्तन कर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि को कम कर राजस्व नक्शे मे दर्शाने का अधिका[illegible] स्थान पर है एवं उसी रकबे पर है ,जिस पर वर्तमान भूप्रबन्ध के पूर्व प्रार्थी का क[illegible] प्रार्थी के कृषि भूमि के रकबे मते या नाप मते किसी प्रकारका कोई परिवर्त[illegible] नही किया गया तो प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि जि[illegible] मौके पर प्रार्थी [illegible]ब्जा मे है। उसमते प्रार्थी को भविष्य मे परिवर्तन करना पडेगा जिससे प्रार्थी [illegible]जायेगी । अत[illegible]का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्र[illegible]नक्शे मे पूर्वी दिशा की [illegible]नक्शे मे दर्शित लाईन को पूर्व की भांति सीधा दर्शाने की आज्ञा प्र[illegible] करावें तथा राजस्व नक्शे मे [illegible] को संशोधित करना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि व अन्य कृकष भूमि को दर्शाते हुये जमाबंदी संवत 2071 से 2074 ,वादग्रस्त कृषि भूमि एवं अडौस पडौस की कृषि भूमि को दर्शाते हुये गत भूप्रबन्ध सन् 1954–55 के नक्शे की प्रति खसरा नंबर 1,2 व 3 को दर्शाते हुये की प्रति तथा कृषि भूमि खसरा नंबर 1 व 2 वाके ग्राम तंवरी की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 तथा प्रश्नगत कृषि भूमि के वर्तमान भूप्रबन्ध के नक्शे की प्रति तथा वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1 वाके ग्राम तंवरी की जमाबंदी संवत 2052 से 2055 की प्रमाणित प्रतियो का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित

तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से न्यायालय मे दिनांक 14–6–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनांक 15–7–2019 को प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किया गया । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 20–8–2019 को अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समुचित अवसर प्रदान किये गये ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 10–11–2020 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने हेतु दिनांक 20–8–2019 से निरन्तर करीब डेढ साल से न्यायहित मे पर्याप्त अवसर देने तथा सीपीसी के प्रावधानो के तहत 90 दिन की समयावधि गुजर जाने के बावजूद आज दिन तक जवाब पेश नही करने से जवाब हेतु आगे समय दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से न्यायालय द्वारा जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर. एक्ट पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस हेतु न्यायालय मे दिनाक 11–12–2020 को रखी गई । जिस पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न उक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड जमाबंदीयों व राजस्व नक्शों की प्रमाणित प्रतियो का गहनता पूर्वक अवलोकन कर उस पर गंभीरता से मनन किया । वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस पर भी ध्यानपूर्वक मनन किया । विचाराधीन सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रकरण की वर्तमान विषय वस्तु यह है कि तत्कालीन भू राजस्व अधिकारियों को प्रार्थी की कृषि भूमि के राजस्व नक्शे मे परिवर्तन कर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि को कम कर राजस्व नक्शे मे दर्शाने का अधिकार नही है। प्रार्थी कब्जा वर्तमान मे उसी स्थान पर है एवं उसी रकबे पर है ,जिस पर वर्तमान भूप्रबन्ध के पूर्व प्रार्थी का कब्जा रहा है। प्रार्थी के कृषि भूमि के रकबे मते या नाप मते किसी प्रकारका कोई परिर्वतन नही हुआ है। यदि उक्त त्रुटी को दुरूस्त नही किया गया तो प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि जिस कदर मौके पर प्रार्थी के कब्जा मे है। उक्त त्रुटी प्रार्थी को भविष्य मे परिर्वतन करना पडेगा जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि की मौके की स्थिति बदल जायेगी । उपरोक्त त्रुटि भू राजस्व अधिकारियों के गलती व लापरवाही की वजह से होना जाहिर होता । उपरोक्त त्रुटी लिपिकिय त्रुटी की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त करना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को भविष्य मे त्रुटी सुधरवाने मे कानूनी अडचने पैदा होगी तथा प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान से भी गुंजरना पड सकता है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा तंवरी पटवार हल्का तवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही के उक्त कृषि भूमि के वर्तमान सेटलमेण्ट नक्शा अनुसर खसरा नंबर 1 व 2 कुल रकबा 3.11 हेक्टेयर तथा पुराने सेटलमेण्ट नक्शा अनुसार खसरा नंबर 1,2,व 3 कुल रकबा 19 बीघा 4 विस्वा का तुलनात्मक अध्ययन कर नियमानुसार राजस्व नक्शे मे दर्शित लाईन को पूर्व की भांति सीधा दर्शाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर पालना रिर्पोट शीघ्र इस न्यायालय मे भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–12–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 16:09:36 IST
Reason: SelfAttested